शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / 2012 / 3412 **भोपाल, दिनांक–07.04.12**

<u>वाहन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना</u>

राज्य शिक्षा केन्द्र को कार्यालयीन / कार्यशाला / बैठक / भ्रमण कार्य हेतु वार्षिक / मासिक / साप्ताहिक / दैनिक दरों पर किराए के वाहन के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित शर्तों एवं विवरण सहित निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के प्रशासन कक्ष से प्रकाशन दिनांक से कार्यालयीन समय में दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक प्राप्त किया की जा सकता है। अथवा राज्य शिक्षा केन्द्र की बेबसाइट से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक निविदाकर्ता निर्धारित शर्तों के अनुसार दो लिफाफा पद्धति में सील बंद निविदा 24.04.2012 तक कार्यालय दिवसों में अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रशासन कक्ष में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 24.04.2012 को दोपहर 4.00 बजे राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के तृतीय तल स्थित मीटिंग हाल में खोली जावेगी। निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाईट http://www.educationportal.mp.gov.in में भी देख सकते हैं।

7.4.12

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र को शासकीय कार्य/कार्यशालाओं/बैठकों एवं बाहर से आये अधिकारियों/अतिथियों के स्थानीय एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु किराये के वाहनों की दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक दर पर आवश्यकता है। इस हेतु पेट्रोल/डीजल की इंडिका डी.एल. एस., इंडिका विस्टा, टाटा सूमो ग्रान्ड, जाइलो, स्कार्पियो, बुलोरो, टवेरा, सफारी, इनोवा, इंडिगो, टाटा मांजा, टोयटा कोरोला, आईकोन, होन्डा सिटी आदि के उच्च मॉडल (एसी/नॉन एसी), वाहनों की दरें आमंत्रित की जाती हैं। वाहन निम्नानुसार अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और अच्छी स्थिति में होना चाहिए।

किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए शर्तें –

1. इच्छुक निविदादाताओं के पास कम से कम 10 वाहन स्वयं अथवा फर्म के नाम पर पंजीकृत होना अनिवार्य हैं। फर्म/मालिक के नाम से पंजीकृत वाहन की छायाप्रति निविदा के साथ लगायी जाना भी अनिवार्य होगा।
2. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का मॉडल तीन वर्ष अर्थात वर्ष 2008 मॉडल से अधिक पुराना न हो ओर वाहन टेक्सी कोटे के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो।
3. किराये की अवधि में वाहन में पेट्रोल/डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी एवं वाहन के संधारण सहित टूट–फूट, बैटरी, टायर–ट्यूब आदि पर हुये व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
4. यात्रा के दौरान सुदूर स्थानों में भी वाहन ले जाया जा सकेगा और वाहन के ड्रायवर को उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेशें का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. वाहन सेल्फ स्टार्ट हो। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा टायर–ट्यूब अच्छी स्थिति में हों वाहन का माईलो मीटर हमेशा चालू हालत में रहना चाहिये। मासिक/वार्षिक दर आधार पर प्रदत्त वाहन को प्रतिमाह एक दिवस सर्विसिंग कार्य के लिए छूट इस शर्त पर दी जाएगी की वाहन प्रदायकर्ता उस दिवस अन्य वाहन उपलब्ध कराएगा।
6. वाहन ड्रायवर के पास वाहन चलाने का कम से कम 3 वर्ष पुराना वैद्य ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वाहन चालक के पास मोबाईल सुविधा भी अनिवार्य रूप से हो।
7. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन पूर्णरूप टेक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व का हो। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त हर्जा खर्चा वहन करेगा।
8. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तर दायित्व वाहन प्रदाता को होगा एवं यदि कोई वैद्यानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।
9. उपयोग के दौरान रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में सामान्यतः दो घण्टे में वाहन सुधार कराकर उपयोग हेतु उपलब्ध कराना होगा। दो घण्टे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का

प्रशासक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन खराब होने के स्थान से गैरिज तक लाने का दायित्व भी वाहन प्रदाता का होगा।

10. वाहन प्रदाता को राज्य शिक्षा केन्द्र की मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से रूपये एक हजार प्रति दिवस अर्थदण्ड के रूप में काटा जाएगा तथा इसकी पुनरावृत्ति होने पर स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
11. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉगबुक में कराना होगा और प्रमाणित लॉगबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. माईलो मीटर की खराबी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी अनुसार ही देयक मान्य किया जावेगा।
13. वाहन के स्थानीय अथवा मुख्यालय से बाहर उपयोग की स्थिति में न्यूनतम दूरी का कोई बंधन नहीं होगा।
14. निविदा जमा करते समय धरोहर राशि 25,000/- का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त, **राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल** के नाम से कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
15. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।
16. निविदा स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
17. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च, जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं व्यय करेगा।
18. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।
19. वाहन आवश्यकता/मॉग अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र भ्रमण हेतु समय-समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों को आवश्यकता/मॉग अनुसार वार्षिक/मासिक किराये पर लिये जा सकेंगे। वाहन आवश्यकतानुसार जिले से बाहर भी प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी भेजा जा सकेगा।
20. साप्ताहिक आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहन को न्यूनतम 800 किलोमीटर प्रति सप्ताह और 12 घंटे प्रति दिवस हेतु लिया जायेगा। वाहन का उपयोग अधिक किये जाने पर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भुगतान निर्धारित दर अनुसार किया जायेगा। इसके लिए प्रति किलोमीटर दर का उल्लेख पृथक से किया जाए। वाहन को आवश्यकता होने पर मुख्यालय से बाहर भी भेजा जा सकेगा।
21. मासिक आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहन को न्यूनतम 2500 किलोमीटर प्रतिमाह और 12 घंटे/24 घंटे प्रति दिवस हेतु लिया जायेगा। वाहन प्रदायकर्ता 24 घंटे के लिये पृथक दरें दे सकता है। वाहन का उपयोग अधिक किये जाने पर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर/प्रति घंटा की दर

प्रशासक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

का भुगतान निर्धारित दर अनुसार किया जायेगा। इसके लिए प्रति किलोमीटर/प्रति घंटा दर का उल्लेख पृथक से किया जाए। वाहन को आवश्यकता होने पर मुख्यालय से बाहर भी भेजा जा सकेगा।

22. वार्षिक आधार पर किराये पर लिये जाने वाले वाहन को 30000 हजार किलोमीटर प्रतिवर्ष एवं 24 घंटे प्रति दिवस के हिसाब से लिया जावेगा। वाहन कार्यालय में ही खड़ा करना अनिवार्य होगा वाहन इससे अधिक उपयोग होने पर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भुगतान निर्धारित दर अनुसार किया जायेगा। इसके लिए प्रति किलोमीटर का उल्लेख अलग से किया जाए। वार्षिक आधार पर किराये से लिये गये वाहनों को मुख्यालय के बाहर भी भेजा जा सकेगा। वाहन की निर्धारित वार्षिक दर को समान 12 किश्तों में विभाजित करते हुये प्रतिमाह भुगतान की कार्यवाही की जायेगी तथा वाहन का उपयोग 36 हजार कि0मी0 से अधिक होने की दशा में नियमानुसार समायोजन वर्ष के अंतिम माह में किया जावेगा।

23. मासिक आधार पर किराये पर ली गई वाहन यदि प्रारंभिक अथवा अंतिम माह में पूर्ण माह उपयोग में नहीं लगायी गयी है तो अनुपातिक रूप से भुगतान किया जावेगा।

24. निविदा द्वारा मान्य दरें आगामी एक वर्ष के लिये लागू रहेंगी तथा सेवायें संतोषप्रद होने की स्थिति में अनुबंध एक साल के लिये और बढ़ाया जा सकेगा।

25. वाहन को मुख्यालय से बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टेक्स /पार्किंग का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा की जायेगी।

26. वाहन प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक पर म0 प्र0 शासन के नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।

27. फर्म द्वारा यदि अन्य किसी विभागों में पूर्व में कार्य किया गया है तो उसका प्रमाण सहित उल्लेख किया जावें।

28. संस्था द्वारा लिफाफे एक में प्रपत्र–1 व लिफाफे–दो में प्रपत्र– 2 अ, 2 ब, 2 स, 2 द एवं 2 इ सील बंद प्रस्तुत करना होगा।

29. जिस फर्म द्वारा लिफाफा–एक की पूर्ति की जायेगी उसी निविदाकार का दर संबंधी लिफाफा–दो मान्य होगा। लिफाफा–एक की पूर्ति नहीं करने वाली फर्म का दर संबंधी लिफाफा–दो मान्य नहीं किया जायेगा। उसे बिना खोले ही वापिस कर दिया जावेगा।

7.5.12

अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

प्रपत्र–1
(लिफाफा नं0 1)

राज्य शिक्षा केन्द्र
दर निविदा प्रपत्र
(यह पत्रक फर्म, संस्था/व्यक्ति अपने लेटर पेड पर टाइप कर अथवा सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करें)

राज्य शिक्षा केन्द्र को शासकीय कार्य/कार्यशाला बैठक के उपयोग के लिए दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक आधार पर किराये से लिये जाने वाले वाहनों यथा इंडिका, इंडिका विस्टा, टाटा सूमो ग्रान्ड, जाइलो, स्कार्पियो, बुलोरो, टवेरा, सफारी, इनोवा, इंडिगो, टाटा मांजा, टोयटा कोरोला, आईकोन, होन्डा सिटी (एसी/नॉन एसी) आदि के उच्च मॉडल पेट्रोल/डीजल चलित वाहन का पंजीयन प्रपत्र।

1. फर्म/व्यक्ति का नाम –
2. फर्म/व्यक्ति का पता –
3. दूरभाष क्रमांक –
4. फर्म का पंजीयन क्रमांक (फोटो प्रति संलग्न करें)
5. धरोहर राशि रू0 25,000/– मात्र के बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक का विवरण – बैंक का नाम शाखा
6. फर्म/मालिक के नाम से कम से कम 10 वाहन (टेक्सी कोटे के ही मान्य) जो 2008 के पूर्व के मॉडल न हों। की सूची संलग्न करें। –
7. वाहन की वार्षिक/मासिक/साप्ताहिक/प्रतिदिन की दर संलग्न प्रपत्र 2 अ, 2 ब, 2 स, 2 द एवं 2 इ अनुसार लिफाफा दो में सील बंद दें।

उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण सत्य प्रस्तुत की गई है। मेरे द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र की निविदा शर्तें पढ़ने व समझने के पश्चात् ही प्रपत्र–दो पर दरें प्रस्तुत की जा रही है। वाहन निविदा हेतु निर्धारित नियम व शर्तें जो मुझे निविदा पत्रक के साथ प्राप्त हुयी हैं उनका एवं वाहन उपलब्ध कराते समय समक्ष अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये मेरे द्वारा गुणवत्तापूर्ण वाहन उपलब्ध कराया जायेगा। किसी भी त्रुटि या लापरवाही के लिये मैं/मेरी संस्था जिम्मेदार होगी जिसके लिये मुझे/संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने व मेरी/संस्था की धरोहर राशि जप्त करने का अधिकार राज्य शिक्षा केन्द्र को होगा।

फर्म मालिक के हस्ताक्षर
पद मुदा सहित

प्रशासक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

प्रपत्र–2 अ

प्रतिदिन के मान से (ए.सी./नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर POL सहित प्रपत्र–2 अ

क्र.	विवरण	इंडिका	इंडिका विस्टा	टाटा सूमो ग्रान्ड	जाईलो टाप माडल	स्कार्पियो टाप माडल	बुलोरो टाप माडल	टवेरा टाप मा.	सफारी टाप माडल	इनोवा टाप माडल	इंडिगो टाप माडल	टाटा मांजा टाप मा	टोयटा कोरोला टाप मा.	आईकोन टाप माडल	होन्डा सिटी टाप मा
1	12 घंटे 100 कि.मी. नॉन ए.सी.														
2	12 घंटे 100 कि.मी. ए. सी.														
3	अतिरिक्त प्रति कि.मी. की दर नॉन ए.सी.														
4	अतिरिक्त प्रति कि.मी. की दर ए.सी.														
5	अतिरिक्त प्रति घंटा की दर नॉन ए.सी.														
6	अतिरिक्त प्रति घंटा की दर ए.सी.														
7	रात्रि विश्राम की दर														

प्रशासक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

प्रपत्र–2 ब

साप्ताहिक आधार से (ए.सी. / नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर POL सहित प्रपत्र–2 ब

क्र.	विवरण	इंडिका	इंडिका	टाटा सूमो ग्रान्ड	जाईलो टाप माडल	स्कार्पियो टाप माडल	बुलोरो टाप माडल	टवेरा टाप मा.	सफारी टाप माडल	इनोवा टाप माडल	इंडिगो टाप माडल	टाटा मांजा टाप मा	टोयटा कोरोला टाप मा.	आईकोन टाप माडल	होन्डा सिटी टाप मा
1	800 कि.मी. के लिये नॉन ए.सी. 12 घंटे प्रति दिवस														
2	800 कि.मी. के लिये ए.सी. 12 घंटे प्रति दिवस														
3	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (800 कि.मी. के बाद) नॉन ए.सी.														
4	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (800 कि.मी. के बाद) ए. सी.														
5	अतिरिक्त प्रति घंटा की दर नॉन ए.सी.														
6	अतिरिक्त प्रति घंटा की दर ए.सी.														
7	रात्रि विश्राम की दर														

प्रशासक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

प्रपत्र–2 स

मासिक आधार से 24 घंटे के मान से (ए.सी./नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर POL सहित
प्रपत्र–2 स

क्र.	विवरण	इंडिका	इंडिका	टाटा सूमो ग्रान्ड	जाईलो टाप माडल	स्कार्पियो टाप माडल	बुलोरो टाप माडल	टवेरा टाप मा.	सफारी टाप माडल	इनोवा टाप माडल	इंडिगो टाप माडल	टाटा मांजा टाप मा	टोयटा कोरोला टाप मा.	आईकोन टाप माडल	होन्डा सिटी टाप मा
1	2500 कि.मी. के लिये नॉन ए.सी. 24 घंटे प्रति दिवस														
2	2500 कि.मी. के लिये दर ए.सी. 24 घंटे प्रति दिवस														
3	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (2500 कि.मी. के बाद) नॉन ए.सी.														
4	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (2500 कि.मी. के बाद) ए. सी.														

प्रशासक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

प्रपत्र–2 द

मासिक आधार से 12 घंटे के मान से (ए.सी./नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर POL सहित
प्रपत्र–2 द

क्र.	विवरण	इंडिका	इंडिका विस्टा	टाटा सूमो ग्रान्ड	जाईलो टाप माडल	स्कार्पियो टाप माडल	बुलोरो टाप माडल	टवेरा टाप मा.	सफारी टाप माडल	इनोवा टाप माडल	इंडिगो टाप माडल	टाटा मांजा टाप मा	टोयटा कोरोला टाप मा.	आईकोन टाप माडल	होन्डा सिटी टाप मा
1	2500 कि.मी. के लिये नॉन ए.सी. 12 घंटे प्रति दिवस														
2	2500 कि.मी. के लिये दर ए.सी. 12 घंटे प्रति दिवस														
3	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (2500 कि.मी. के बाद) नॉन ए.सी.														
4	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (2500 कि.मी. के बाद) ए. सी.														
5	अतिरिक्त प्रति घंटा की दर नॉन ए.सी.														
6	अतिरिक्त प्रति घंटा की दर ए.सी.														
7	रात्रि विश्राम की दर														

प्रशासक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

प्रपत्र–2 इ

वार्षिक आधार से (ए.सी./नॉन ए.सी.) वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दर POL सहित प्रपत्र–2 इ

क्र.	विवरण	इंडिका डीएल एस	इंडिका विस्टा टाप मा.	टाटा सूमो ग्रान्ड	जाईलो टाप मा.	स्कार्पियो टाप मा.	बुलोरो टाप मा.	टवेरा टाप मा.	सफारी टाप मा.	इनोवा टाप मा	इंडिगो टाप मा	टाटा मांजा टाप मा	टोयटा कोरोला टाप मा.	आईकोन टाप माडल	होन्डा सिटी टाप मा
1	30000 कि.मी. के लिये नॉन ए.सी. 24 घंटे प्रति दिवस														
2	30000 कि.मी. के लिये दर ए.सी. 24 घंटे प्रति दिवस														
3	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (30000 कि.मी. के बाद) नॉन ए.सी.														
4	अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (30000 कि.मी. के बाद) ए.सी.														

प्रशासक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल